जैकेट व पेज 1 के शेष

प्रदेश में डिजिटल नेटवर्किंग हब और डेटा सेंटर बनाने मुख्यमंत्री...

मुलाकात के दौरान वे अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा जापान और दक्षिण कोरिया पर केंद्रित है। राज्य में औद्योगिक प्रगति, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों के लिहाज से उनके दौरे को ऐतिहासिक माना जा रहा है।

आज प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात - 23 अगस्त को मुख्यमंत्री जापान में बसे प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। उनके जरिये वे राज्य में छोटे-बड़े निवेश का प्रयास करेंगे। प्रवासी भारतीयों से संवाद के दौरान उन्हें यहां उपलब्ध संसाधनों के अलावा उद्योग नीति में किए गए संशोधन की जानकारी देंगे। ताकि वे अपने प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित हों। विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी।

ओसाका एक्सपो- ब्रांड का करेंगे दौरा - 24 अगस्त को मुख्यमंत्री ओसाका एक्सपो-2025 स्थल का दौरा करेंगे। आने वाले दिनों में ये छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग का बड़ा मंच होगा। इसमें राज्य की सांस्कृतिक और औद्योगिक ताकत दुनिया के सामने रखी जाएगी, जिससे पर्यटन और वैश्विक पहचान को बल मिलेगा।

दक्षिण कोरिया में औद्योगिक दिग्गजों से संवाद- 28 अगस्त को मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया में रहेंगे। वहां मुख्यमंत्री कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन(केआईटीए)के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। केआईटीए हजारों कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बैठक के जरिये छत्तीसगढ़ में मशीनरी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बड़े निवेश का प्रयास किया जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री हुंडई मोटर स्टूडियो का दौरा करेंगे। हुंडई जैसी कंपनियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का नया केंद्र बन सकता है। इससे राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण, नई नौकरियों और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े अवसर खुलेंगे।

राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम दौरा- मुख्यमंत्री साय की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से ठोस निवेश होने पर छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल बदल सकता है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर के जंगलों तक, रोजगार और तकनीक के नए अवसर पैदा होंगे।

ड्रीम 11, विंजो, पोकरबाजी जैसे ऑनलाइन रियल मनी गेम्स बंद...

रम्मी, सॉलिटेयर, देहला पकड़, फैंटेसी क्रिकेट और पोकर जैसे 100 से अधिक रियल मनी गेम वाली विन्जो ने कहा कि वह तत्काल प्रभाव से सभी गेम वापस ले रही है। मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने भी भारत में सभी रियल-मनी गेमिंग ऑफर निलंबित कर दिए हैं।

अंतरिक्ष से इंटरनेट की तैयारी

140 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का ब्रॉडबैंड नेटवर्क हम बनाएंगे

नई दिल्ली | भारत में भी अंतरिक्ष से स्टारलिंक जैसा इंटरनेट मिलेगा। इसके लिए खुद का लो अर्थ ऑर्बिट (लियो) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की तैयारी है, ताकि देशभर में स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा दी जा सके। फिलहाल इस क्षेत्र में स्पेसएक्स और वनवेब जैसी ग्लोबल कंपनियों का दबदबा है। इसरो के सैटेलाइट एप्लिकेशन सेंटर के डायरेक्टर निलेश देसाई ने बताया कि इसरो ने 140 सैटेलाइट्स की एक कॉन्स्टेलेशन तैयार की है, जो शहरी इलाकों की ब्रॉडबैंड जरूरतों को तुरंत पूरा कर सकती है।' देसाई ने बताया कि अगले 15 सालों में इसरो 103 ऑपरेशनल और 16 टेक्नोलॉजी डेमो सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। गौरतलब है कि देश में हाल ही में तीन लो ऑर्बिट ऑपरेटर्स को अनुमति दी गई है। स्पेसएक्स के पास 6 हजार से ज्यादा लियो सैटेलाइट्स हैं, जबकि वनवेब और टेलीसैट के भी ऐसे कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं। इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक निलेश देसाई ने बताया कि सरकार ने हाल ही में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से चर्चा की। उसमें सामने आया कि भारत को अपनी संप्रभु एलईओ सैटेलाइट व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि नागरिक सेवाओं से लेकर रणनीतिक जरूरतें पूरी की जा सकें।

गुजरात के असिस्टेंट प्रोफेसरों को समान काम के लिए न्यूनतम वेतन देने का आदेश

शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देने से ज्ञान की अहमियत घटती है: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता, तो यह दर्शाता है कि देश ज्ञान को कितनी अहमियत देता है। इससे उन लोगों की प्रेरणा भी कमजोर होती है, जो देश की बौद्धिक पूंजी तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि शिक्षक, लेक्चरर और प्रोफेसर किसी भी देश की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। वे अपना जीवन अगली पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को गढ़ने में लगा देते हैं। बेंच ने ''समान काम के लिए समान वेतन'' के सिद्धांत को लागू करते हुए गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए तय न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट के दो फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर आया, जिनमें समान काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को समान वेतन देने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा कि कई बार शिक्षकों को जो वेतन और पहचान दी जाती है, वह उनके योगदान की असली अहमियत को नहीं दर्शाती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु...' जैसे मंत्रों का जाप करना काफी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों में "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु..." जैसे मंत्रों का जाप करना काफी नहीं है। अगर हम इस मंत्र में विश्वास करते हैं, तो यह हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए।

समाहरणालय, बाँका

(मद्य निषेध शाखा)

बिहार सरकार

अल्पकालीन आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में राजसात किये गये वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आम नीलामी (Public Auction) **दिनांक–06.09.2025 एवं आवश्यकतानुसार अगले कार्य दिवस को अधीक्षक मद्यनिषेध, महेशडीह, बाँका के कार्यालय वेश्म में 11.30 बजे पूर्वाह्न से की जायेगी।** एतद् द्वारा निम्नांकित वाहन के स्वामियों को भी सूचित किया जाता है कि यदि वे निम्नांकित वाहनों के लिये अपील/रिवीजन/प्रपत्र IV दायर किये हों तो इसकी सूचना साक्ष्य सहित नीलामी की तिथि के पूर्व नीलामी समिति को उपलब्ध करा देंगे।

क्र० सं०	न्यायालय, बाँका का ज्ञापांक/दिनांक	उत्पाद/थाना नाम	उत्पाद/थाना कांड सं०	वाहन का प्रकार	पंजीयन संख्या	चेचिस सं०	इंजन सं०	मूल्यांकन राशि (रूपया में)	अग्रधन की राशि (20%)	वाहन स्वामी का नाम व पता	वाहन निर्माण का वर्ष (मॉडल)	वाहन की भौतिक उपस्थिति	नीलामी समय बीमाकृत मूल्य (वाहन की बीमाकृत मूल्य)	वाहन जहाँ पर है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6035/R 23.10.24	रजौन (नवादा बाजार)	618/22	कार	CG12R 2266	MA3E SKD1S 003198 99	K12M N1081 187	110000	22000	नाम–डबलू कुमार पे0–प्रशांत सा0–रेलवे कॉलनी झोपड़ पट्टी हाउस नं0–213 थाना वो जिला कोरबा छत्तीसगढ़	2010			रजौन (नवादा बाजार)

विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, बाँका से संपर्क किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

समाहर्त्ता, बाँका

PR. No. 011944 (Excise) 2025-26 सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा(10009), ब्लॉक बी-1, पुजारी चेंबर्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.) मो. 8889375554, 8052611114

ई-नीलामी तिथि 09.09.2025, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक

विक्रय नोटिस

परिशिष्ट–IV क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, **2002 के 8(6)** के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्न वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार को निम्नवर्णित तालिका के कॉलम "D" में वर्णित बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज व अन्य खर्चों की वसूली हेतु दिनांक **09.09.2025 (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः 11.00 से सायं 4 बजे** तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बेचा जाएगा।

क्र. (A)	ऋणी एवं जमानतदारो का नाम (B)	संपत्ति का विवरण एवं टाइटल धारक का नाम (C)	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है एवं मांग सूचना पत्र दिनांक (D)	आरक्षित मूल्य ईएमडी (धरोहर राशि) वृद्धि दर
1	**उधारकर्ता: श्री मुकेश कुमार शर्मा** पिता श्री धनेश्वर प्रसाद शर्मा, **सह-उधारकर्ता: श्रीमती ज्योति शर्मा** पति श्री मुकेश कुमार शर्मा, दोनों का सामान्य पता: प्लॉट नंबर एस्टर - 63, चौहान ग्रीन वैली फेज III, चौहान टाउन के सामने, जुनवानी, भिलाई, दुर्ग - 490020 (छ.ग.)	**आवासीय भवन** स्थित प्लॉट नंबर 63 एस्टर (खसरा नंबर 326/1, 330, 331,334, 335, 339/1, 340/1, 340/2, 341/1,341/2, 342, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345 346, 347/1, 347/2, 348, 349 एवं 350 का भाग), प.ह. नंबर 08, चौहान ग्रीन वैली फेस III, चौहान टाउन के सामने, मौजा- खपरी, जुनवानी, **भिलाई,** जिला- दुर्ग (छ.ग.) (क्षेत्रफल: भूमि- 840 वर्गफुट, भवन: भूतल- 504 वर्गफुट, प्रथम तल - 504 वर्गफुट, दूसरी मंजिल- 262 वर्गफुट). सीमाएँ: उत्तर-प्लॉट नं. एस्टर 62, दक्षिण-प्लॉट नं. एस्टर 64, पूर्व-रोड, पश्चिम-प्लॉट नं. एस्टर 70 (**भौतिक कब्जा**). *कृपया ध्यान दें कि वर्तमान मालिक का नाम श्री मुकेश कुमार शर्मा एवं श्रीमती ज्योति शर्मा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है।	**₹ 36,21,483.00** दिनांक 01.07.2022 को एवं दिनांक 02.07.2022 से ब्याज+ अन्य विधिक खर्च प्रभावी	**₹ 31,65,000.00** **₹ 3,16,500.00** **₹ 25,000.00**
2	**उधारकर्ता: मेसर्स गणपति वायर्स, प्रोप.- श्री आशीष गुप्ता** पिता श्री रामचंद्र गुप्ता, **जमानतदार - श्रीमती संध्या गुप्ता** पति श्री आशीष गुप्ता.	फ्रीहोल्ड **खुला प्लॉट** का समस्त भू-भाग,भूमि स्थित खसरा नं 166/5, वार्ड नं 15, प.ह नं 17, मौजा-सिकोला,नया गंज क्षेत्र, दुर्ग-2, ब्लॉक-दुर्ग, तहसील एवं जिला-दुर्ग,(छ.ग.)-491111, **क्षेत्रफल- 21750 वर्ग फुट,** मालिकाना हक- श्रीमतीसंध्या गुप्ता पति श्री आशीष गुप्ता। सीमाएं (टाइटल डीड के अनुसार):उत्तर: सड़क,दक्षिण : श्री पूरन साहू की भूमि, पूर्व : मगन भंडार होटल की भूमि, पश्चिम : श्री नर्मदा प्रसाद की भूमि, **(सांकेतिक कब्जा)** *संपत्ति का नया सीमांकन प्रक्रियाधीन है। *नोट: उक्त संपत्ति की विक्रय माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के समक्ष लंबित सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन क्रमांक 275/2020 (मेसर्स गणपति वायर्स बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में पारित किए जाने वाले आदेश/निर्णय के अधीन होगी।	**₹ 3,63,07,031.63** दिनांक 28.11.2019 को एवं दिनांक 29.11.2019 से ब्याज+ अन्य विधिक खर्च प्रभावी	**₹ 1,30,00,000.00** **₹ 13,00,000.00** **₹ 50,000.00**

इच्छुक बोली लगाने वाले/खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वालेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी के पूर्व रजिस्ट्रेशन, केवायसी दस्तावेजों का सत्यापन और वालेट में ईएमडी जमा अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्तियों पर कोई अन्य भार नहीं है, फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्तियों से संबंधित किसी भी भार के विषय में संबंधित कार्यालय/विभाग से जानकारी प्राप्त करें। संपत्ति से संबंधित निर्णय निविदादाता को स्वविवेक से लेना होगा। सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक बकायों, करों, दरों, निर्धारणों, प्रभारों, शुल्कों आदि का भुगतान, जो किसी प्राधिकारी या किसी को देय हो, का भुगतान केवल सफल बोली लगाने वाले की ही जिम्मेदारी होगी। ई-नीलामी **"जहां है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर एवं ऑनलाइन होगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet द्वारा वेब पोर्टल www.baanknet.com के माध्यम से संचालित की जावेगी।** विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर अवलोकन करें – **www.baanknet.com / www.sbi.co.in.**

यह प्रकाशन ऋणी / जमानतदारों / बधककर्ताओं को प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अन्तर्गत 15 दिवसीय सूचना भी है।

संपत्तियों के निरीक्षण का दिनांक एवं समय: 25.08.2025 से 08.09.2025 के बीच (पुर्व में लिए गए समय अनुसार)

यह सूचना अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। व्याख्या के किसी भी मामले में अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा।

दिनांक: 23.08.2025, स्थान- रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक,सार्ब रायपुर

pnb पंजाब नैशनल बैंक

सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 08/09/2025 एवं 25.09.2025

समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पूर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की विक्रय "जहां है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित सपत्तिया की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ईएमडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपति के लिये
1	**उधारकर्ताओं: श्रीमती पुष्पा राठौड़** पति श्री ललित राठौड़ एवं **श्री राहुल राठौड़** पिता श्री ललित राठौड़, दोनों का पता - पीएवी प्रोविजन स्टोर्स के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर -1, नीम बद्री, रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, खमतराई, रायपुर (छ.ग), 492001, **शाखा - सुन्दर नगर,रायपुर (164010) संपर्क: श्री अजय पटेल, 9425017828**	**आवासीय संपत्ति** - खसरा नं 435/15 (भाग), मौज़ा- खमतराई, प.ह नं 108/38, वार्ड नं 07, वीर शिवाजी वार्ड, सेक्टर-1, **शिवानंद नगर,** आर.आई.सी.- रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल- 1000 वर्ग फुट** पर स्थित अचल संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती पुष्पा राठौर पति श्री ललित राठौर। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य का मकान, पूर्व: देवांगन का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान। भौगोलिक निर्देशांक - 21.276278, 81.631752	1) 18.09.2021 2) रू 6,38,998.86 + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3)18.04.22 को सांकेतिक कब्जा	रू. 22.46 लाख रू. 2.25 लाख
2	**उधारकर्ता- मेसर्स पर्सनल केयर, प्रो.- श्रीमती कुसुम कुकरेजा, जमानतदार - श्रीमती सपना कुकरेजा,** पता - मकान नं. 384/24, आमदी मंदिर, वार्ड नं 24, दीक्षित कॉलोनी, दुर्ग. **शाखा- धमधा नाका, दुर्ग (165400) संपर्क - श्री दिलीप कुमार पासवान, 9122369900**	**खुली भूमि** - खसरा नं. 1179/301 प.ह नं.16/24, वार्ड नं. 26, मौजा संतारा बड़ी, **दुर्ग में क्षेत्रफल - 770 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती कुसुम कुकरेजा एवं श्रीमती सपना कुकरेजा। सीमाएं :- उत्तर: संतोष सिंह का मकान,दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क,पूर्व: रंजीत कुमार कुकरेजा का मकान,पश्चिम: रूप चंदानी का मकान।	1) 11.04.2019 2) रू 11,56,977.56 + दिनांक 31.12.2018 से ब्याज प्रभावी 3)11.04.19 को सांकेतिक कब्जा	रू. 7.29 लाख रू. 0.73 लाख
	संख्या क्रमांक 3 से 4 के लिए: ई-नीलामी तिथि- 25/09/2025 एवं समय- सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक			
3	**उधारकर्ता- श्री नवाब खान** पिता श्री नजीर खान, **जमानतदार- श्री हैदर अली खान** पिता श्री नवाब खान, दोनों का पता- प्लॉट नंबर एलआईजी-181, 182, "द पार्क ग्रीन" रायपुर रोड, अभनपुर, पिन: 493661. **शाखा- अभनपुर (738800), संपर्क: श्री एस. साहू, 9853527154**	**आवासीय संपत्ति**- प्लॉट नंबर एल.आई.जी -181 व 182, खसरा नंबर 171/1-2-3-4-5 का भाग, प.ह. नंबर 131/23, "द पार्क ग्रीन्स", मौजा- उरला, मिनीमाता वार्ड नंबर 11, **अभनपुर,** तहसील- अभनपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़, 493661 में **क्षेत्रफल - 1200 वर्ग फीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक: श्री नवाब खान पिता श्री नजीर खान। सीमाएं :- उत्तर: एल.आई.जी-180, दक्षिण: सड़क, पूर्व: प्लॉट नंबर एल.आई.जी- 195,196, पश्चिम: सड़क; भौगोलिक निर्देशांक: 21.06622, 81.755568	1) 12.11.2024 2) रू 19,48,894.69 + दिनांक 12.11.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 14.02.25 को सांकेतिक कब्जा	रू. 44.20 लाख रू. 4.42 लाख
4	**उधारकर्ता: श्री अंकित घोष** पिता श्री राणा घोष एवं **जमानतदार : श्री राणा घोष** पिता स्वर्गीय श्री सुनील कुमार घोष, दोनों निवासी: 181, रहमान गली, भगत सिंह वार्ड नंबर 6, जगदलपुर, बस्तर, छ.ग, 494001, **शाखा- जगदलपुर (222500), संपर्क: श्री आनंद कुमार, 9931892403**	नजूल भूमि- खसरा नंबर 36/3 (पुराना), 53 (नया), शीट नंबर 121 (पुराना), 95 ए (नया), पखांगुड़ापारा, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन 494001 में क्षेत्रफल: 2759 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री राणा घोष पिता स्वर्गीय श्री सुनील कुमार घोष। सीमाएँ- उत्तर: सड़क, दक्षिण: देवांगन परिवार की भूमि, एवं: सुकमती पति स्वर्गीय चंदन और भास्कर राव पांडा परिवार का मकान और भूमि, पश्चिम: मोहन धाकड़ की भूमि; भौगोलिक निर्देशांक: 19.09073, 82.03557	1) 04/05/2024 2) रू 20,75,418.55 + दिनांक 01.03.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 09.12.24 को सांकेतिक कब्जा	रू. 49.66 लाख रू. 4.97 लाख

संख्या क्र. 1 से 2 के लिए संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय: 04.09.2025 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं बयाना राशि जमा करने की तिथि व समय: 05.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

संख्या क्र. 3 से 4 के लिए संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय: 23.09.2025 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं बयाना राशि जमा करने की तिथि व समय: 24.09.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :श्री दीनानाथ बागे, सीओ-एसएएम रायपुर, 9304614766

नोट:- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी. **2.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को **संख्या क्र. 1 से 2 के लिए ई-नीलामी तिथि- 08/09/2025 एवं संख्या क्र. 3 से 4 के लिए ई-नीलामी तिथि- 25/09/2025 व समय सुबह 11.00 बजे** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- **1.** संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। **2.** यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **3.** संपत्ति की बिक्री **संख्या क्र. 1 से 2 के लिए ई-नीलामी तिथि- 08/09/2025 एवं संख्या क्र. 3 से 4 के लिए ई-नीलामी तिथि- 25/09/2025 को सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए The Hitvada दिनांक 23.08.2025 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.

नोट:- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वंय बनाना है। जिसे बनाने में न्युनतम 2 दिन का समय लगता हं। अतः बोलीकर्ता से निवेदन हं कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना ले।

दिनांक: 23.08.2025, स्थान: रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

न्यायालय - कु. आकांक्षा बेक, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, जिला- रायपुर (छ0ग0)

नोटिस

प्रोसेस क्रमांक-213
प्रकरण क्र.- 46बी/2024
पेशी तारीख-12.09.2025

पक्षकार का नाम

मेसर्स आई.डी.बी.आई. बैंक लिमि. ..... वादी

विरूद्ध

संजीव कुमार सोनी ....प्रतिवादी

प्रति,

प्रतिवादी क्र. 1- श्री संजीव कुमार सोनी, पिता श्री प्रसाद सोनी,

2-श्री राजीव कुमार सोनी, पिता-श्री प्रसाद सोनी, दोनों निवासी म.नं. बी-1, दुर्गा विहार, सिद्धी गार्डन, महावीर नगर, रायपुर जिला-रायपुर छ.ग.

इस न्यायालय में **बादी ने दावा वास्ते रकम वसूली कीमती 2,42,998/- रुपये** के सबंध में वाद प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में **दिनांक 12.09.2025** को दिन के 11:00 बजे होगी।

प्रतिवादी इसमें अपना हित जुड़ा हुआ महसूस करता है या समझता है, इस न्यायालय के समक्ष **दिनांक 12.09.2025** को उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सुनवाई में भाग ले सकता है, अन्यथा बादी के वाद पर न्यायालय अग्रिम कार्यवाही कर आवेदन का निराकरण कर देगी

नोट- यदि किसी कारणवश पेशी तिथि को अवकाश हो जाता है या कार्य स्थगित हो जाता है या पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हों तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी।

यह आज तारीख 12.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की लगाकर दी गई है।

स्थान-रायपुर (सील) **(कु. आकांक्षा बेक)**
दिनांक:12.08.2025 तृतीय व्य. न्या. वरि. श्रेणी, जिला रायपुर (छ0ग0)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय- रायपुर, प्लॉट नं. 71, सेक्टर- 24 अटल नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492018

परिशिष्ट-IV ए [नियम 6(8) के परंतुक को देखें]

अचल संपत्ति की विक्रय हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना: बैंक में बंधक रखे अचल संपत्तियों का, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सहपठित धारा 8 (6) के तहत विकय किया जाना है।

सर्वसाधारण, विशेष रुप से ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिनका **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी ने **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** लिया है, **"जैसा है, जहां है और जैसा है, जो है"** के आधार पर दिनांक **26.09.2025** समय **(प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक)** पर नीलाम किया जावेगा, जिसका विवरण नीचे दिए अनुसार है। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि संपत्ति के विरुद्ध नीचे दर्शाये गये तालिका में उल्लेख किया गया है।

क्र.	उधारकर्ता एवं जमानतदार/शाखा का नाम	सपत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य जमानत राशि बोली वृद्धि राशि
01	अ) मेसर्स लक्ष्मीरूप प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, पता यूनिट- 1:- 535-सी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर 2.(अ) निदेशकः संतोष वाधवानी पुत्र रूपचंद वाधवानी, ब) दीपक वाधवानी पुत्र रूपचंद वाधवानी, स) नितिन वाधवानी पुत्र कमल वाधवानी, द) सनी वाधवानी पुत्र कमल वाधवानी अ) गारंटरः रूपचंद वाधवानी पुत्र हुकुमत राय वाधवानी ब) हरीश वाधवानी पुत्र रूपचंद वाधवानी, स) कमल वाधवानी पुत्र रूपचंद वाधवानी मेसर्स हुकुमतराय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शाखाः समता कालोनी	1. **मेसर्स लक्ष्मीरूप प्राइवेट लिमिटेड** के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला- रायपुर में महामाया इस्पात के बगल में प्लॉट नं. 535-बी, 535-ए, 535-सी, 535-सी (भाग), 532-बी पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 10.15 एकड़ (442134 वर्ग फीट) का पी एंड एम। 2. ख.नं. 616 (भाग), 617 (भाग), 630 (भाग), 631 (भाग), 632 (भाग), प्लॉट नं.- 535-बी, 535-ए, 535-सी, 535-सी (भाग), 532-बी, प.ह.नं. - 101/29, मौजा- उरला (औद्योगिक क्षेत्र उरला रायपुर), आरएनएम- धरसींवा-1, तहसील व जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ 491445, भारत, कुल भूमि क्षेत्र- 10.15 एकड़ या 442134 वर्ग फीट का एल एंड बी। (सीएसआईडीसी से लीज पर ली गई भूमि)	UBI ₹ 38,78,07,177.65 + 01.02.2025 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क मांग सूचना 27.02.2025 Federal Bank ₹ 22,63,21,280.68 + लागू ब्याज कुल मांग राशि ₹ 61,41,28,458.00 + सीएसआईडीसी शुल्क मांग सूचना 13.11.2024	A:- P&M 2125.00 लाख B:-L&B 1975.00 लाख TOTAL Reserve Price A+B:- 4100.00 लाख EMD:- 410.00 लाख Inc. amount:- 41.00 लाख

उपरोक्त संपत्तियों पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है - ज्ञात नहीं है।

ई-नीलामी की तिथि व समयः 26.09.2025, सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

पंजीकरण, लॉगिन एवं बोली नियमों के लिए देखें **ऑनलाइन ई-नीलामी वेब पोर्टल/वेबसाइट http://www.baanknet.in** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, किसी भी विस्तृत पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: **श्री जितेन्द्र नायक/मोबा. 7250567881.**

उधारकर्ताओं और गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

विवाद की किसी भी स्थित में 'टाईम्स ऑफ इंडिया' रायपुर 23/08/2025 में प्रकाशित विज्ञापन मान्य होगा।

दिनांकः 22.08.2025, — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

pnb पंजाब नैशनल बैंक

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 08/09/2025

समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पूर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की विक्रय "जहां है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित सपत्तिया की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ईएमडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपति के लिये
1	**उधारकर्ता- श्रीमती रिचा राठौड़** पति अभिषेक साहू, **जमानतदार- श्री अभिषेक साहू** पिता उमेंद राम साहू, **बंधककर्ता- रिचा राठौड़** पति अभिषेक साहू, सभी का पता: 42/1023, देवनंदन नगर फेस-1, सीपत रोड, बिलासपुर, (छ.ग.), शाखा-सिवनी -317400, **संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री. सार्थक उपाध्याय, 9981790493**	खसरा नं 3960/16 , क्षेत्र 3052 वर्गफिट, काली मंदिर के पास, तहसील जांजगीर एवं जिला - जांजगीर - चांपा पर स्थित सामयिक बंधक संपत्ति। मालिकाना हक- श्रीमती ऋचा राठौर पति अभिषेक साहू,	1) 04-12-2024 2) रू 55,58,370.00 + दिनांक 04-12-2024 से ब्याज प्रभावी 3) 01.02.25 को सांकेतिक कब्जा	रू. 48.60 लाख रू. 4.86 लाख
2	**उधारकर्ता: श्रीमती प्रीति जाधव** पति श्री नंद कुमार जाधव, **सह-उधारकर्ता: श्री नंद कुमार जाधव** पिता श्री श्याम राव जाधव, दोनों का पता - **(1)** एलआईजी 34, हाउसिंग बोर्ड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई, दुर्ग (छ.ग) **(2)** फ्लैट नंबर 63, स्वप्निल बिल्डर्स, कैलाश नगर, भिलाई, जिला - दुर्ग, (छ.ग), **(3)** फ्लैट नं. ए-503, चौथी मंजिल, टावर ए, राजमहल ग्रीन टाउन, मौजा- जामुल, जिला - दुर्ग (छ.ग). **जमानतदार - श्री विजय कुमार सिंह** पिता श्री जगत नारायण सिंह, पता: 1) 94, वार्ड नंबर 7, कोहका, आर्य नगर, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छ.ग., **शाखा-भिलाई, नंदिनी रोड (215800), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री. सार्थक उपाध्याय, 9981790493**	**आवासीय फ्लैट** नंबर ए-503, चौथी मंजिल, टावर ए, राजमहल ग्रीन टाउन, ढांचा हाउसिंग बोर्ड के पास, खसरा नं 74/1, 74/2, प. ह नं 13/18, **मौजा- जामुल,** आरएनएम दुर्ग-2, तहसील एवं जिला- दुर्ग (छ. ग) में **क्षेत्रफल : निर्मित क्षेत्र - 750 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती प्रीति जाधव पति श्री नंद कुमार जाधव. सीमाएं- उत्तर: आसमान की ओर खुला, दक्षिण: फ्लैट नंबर 504, पूर्व: आसमान की ओर खुला, पश्चिम: फ्लैट नंबर 501. भौगोलिक निर्देशांक: 21.245368,81.371444	1) 04.07.2019 2) रू 20,77,025.62 + दिनांक 30.06.2019 से ब्याज प्रभावी 3) 25.10.19 को सांकेतिक कब्जा	रू. 15.47 लाख रू. 1.55 लाख
3	**उधारकर्ता- मोहम्मद रफीक अबानी** पिता उस्मान भाई, पता: मकान नंबर 152, बजरंग नगर वार्ड नंबर 05, तखतपुर, तहसील: तखतपुर, जिला। बिलासपुर (छ.ग.), **शाखा- बरेला (13300), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री. अविनाश तिग्गा, 9630007487**	**भूमि**-खसरा नं 212, प.ह नं 37, आर.आई सर्किल - जरहागांव, ब्लॉक एवं तहसील- **मुंगेली,** जिला- मुंगेली, पिन- 495330 में **क्षेत्रफल - 10,990 वर्गफुट** पर स्थित परिवर्तित संपत्ति, मालिकाना हक- मोहम्मद रफीक अबानी पिता उस्मान भाई, सीमाएं: उत्तर : रफीक की भूमि, दक्षिण : मुंगेली-बिलासपुर मुख्य सड़क, पूर्व : सोनू दास की भूमि, पश्चिम : इशरत की कृषि भूमि। भौगोलिक निर्देशांक: 22.122704, 81.845338	1) 28-05-2021 2) रू 45,46,325.60 + दिनांक 28-05-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 02-09-21 को सांकेतिक कब्जा	रू. 46.33 लाख रू. 4.63 लाख
4	**उधारकर्ता- साबिर अली** पिता मोहम्मद रईस अली, बावली कुवा, पता: वार्ड नंबर 14, बैकुंठपुर, रायगढ़ (छ.ग.) 496001, **शाखा- रायगढ़ (213410), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री. अविनाश तिग्गा, 9630007487**	**दुकान** - दुकान नं एस/216 एवं एस/217, प.ह नं 23, द्वितीय तल, वार्ड क्रमांक 1, इला मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बायपास रोड, **बैकुंठपुर,** रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496001 में **क्षेत्रफल 1006 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- साबिर अली पिता मोहम्मद रईस अली, सीमाएं: उत्तर : आसमान की ओर खुला, दक्षिण : लॉबी, पूर्व : आसमान की ओर खुला, पश्चिम : दुकान नं एस/215. भौगोलिक निर्देशांक: 21.909969, 83.380395	1) 16-06-2021 2) रू 32,36,646.92 + दिनांक 16-06-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 15-11-21 को सांकेतिक कब्जा	रू. 12.82 लाख रू. 1.28 लाख
5	**उधारकर्ता: श्रीमती उषा अग्रवाल** पति श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, **सह-उधारकर्ता श्री अतिश अग्रवाल** पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, **पता: (1)** फ्लैट नंबर 203बी, कोहिनूर ब्लॉक, अशोका रतन, शंकर नगर, रायपुर, (छ.ग)-492001 **(2)** कार्यालय- माँ कृपा रोडवेज, वार्ड नं 13, टी.पी. नगर, बीरगांव, रायपुर, (छ.ग)- 492001 **(3)** वार्ड नं 18, काली मंदिर रोड, मनेंद्रगढ़ , जिला - कोरिया, (छ.ग) 497442 **शाखा: राजेंद्र नगर, रायपुर, 917200. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725**	**आवासीय भूमि एवं मकान** - खसरा नं 437/6, प. ह नं 107/37, सुनील किराना स्टोर्स के पास, लैंडमार्क- पूजा किराना स्टोर्स, मौजा **गोगांव, प्रीतम नगर,** रामकृष्ण परमहंस वार्ड, आरआईसी रायपुर-1, रायपुर (छ.ग) में **क्षेत्रफल: 800 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री अतिश अग्रवाल पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल. सीमाएं - उत्तर: प्रेम लाल साहू की भूमि, दक्षिण: राजपूत ठाकुर की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: खुली भूमि। भौगोलिक निर्देशांक: 21.265885, 81.611696	1) 06-09-2022 2) रू 29,56,147.16 + दिनांक 30-07-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 01-02-23 को सांकेतिक कब्जा	रू. 26.10 लाख रू. 2.61 लाख
6	**उधारकर्ता श्रीमती राजकुमारी नारा, सह-उधारकर्ताओ- श्री अमर लाल नारा, श्री सुनील नारा एवं श्री सन्नी नारा, शाखा - अनुपम नगर, 296600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068**	**आवासीय संपत्ति**- खसरा नंबर 167/6 एवं 168/6 (भाग), उत्परिवर्तन के बाद नया खसरा नंबर 167/25, प.ह नंबर 109/45, डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड नं 27, **मोवा,** आरएनएम - रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग) में **क्षेत्रफल- 1680 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती राजकुमारी नारा पति श्री अमर लाल नारा। सीमाएं - उत्तर- रामनानी की भूमि, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व- खुली भूमि, पश्चिम- सड़क, भौगोलिक निर्देशांक: 21.27088473093697, 81.66721257469041	1) 18-07-2024 2) रू 90,00,786.24 + दिनांक 30-06-2024 से ब्याज प्रभावी 3) 13-12-24 को सांकेतिक कब्जा	रू. 51.07 लाख रू. 5.11 लाख
7	**उधारकर्ता- श्री सर्वेश कुमार पांडे** पिता श्री त्रिवेणी पाल पांडे, **पता - 1)** एमआईजी डुप्लेक्स 101, फेज 4, कबीर नगर, रायपुर, (छ.ग) 492001, **2)** मकान नं. बी4, अवंती क्राउन सोसायटी, विजय नगर, अवंती विहार, रायपुर, (छ.ग), **3)** मकान नं. ए-506, 5वीं मंजिल, अविनाश आशियाना अपार्टमेंट, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग),**शाखा: जयस्तंभ चौक, रायपुर, 039900, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606**	**आवासीय भूमि एवं मकान** - प्लॉट नं. बी-04, खसरा नं 357/12-13 (भाग), नया खसरा नंबर 357/18, प. ह नं 113, अवंती क्राउन सोसायटी, **विजय नगर, अवंती विहार,** महर्षि वाल्मिकी वार्ड नं- 28, तेलीबांधा, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग) में **क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट (दोनो भूतल व प्रथम तल का निर्मित क्षेत्र - 900 वर्गफीट)** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री सर्वेश कुमार पांडे पिता श्री त्रिवेणी पाल पांडे। सीमाएं :- उत्तर - कम्पाउंड दीवार, दक्षिण- सड़क, पूर्व - कम्पाउंड दीवार, पश्चिम - प्लॉट नं. बी-03 भौगोलिक निर्देशांक: 21.247074,81.672894	1) 02-08-2023 2) रू 81,54,621.00 + दिनांक 02-08-2023 से ब्याज प्रभावी 3) 16-07-25 को भौतिक कब्जा	रू. 74.30 लाख रू. 7.43 लाख

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : श्री कलिन्द्र साहू- 9412956480, श्री संजय कुमार बिस्वाल- 9437666379 - एआरएमबी, रायपुर, दूरभाष क्र. - 0771-2210433/35

नोट:- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी. **2.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारो को **ई-नीलामी दिनांक 08/09/2025 व समय सुबह 11.00 बजे** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- **1.** संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। **2.** यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **3.** संपत्ति की बिक्री **ई-नीलामी दिनांक 08/09/2025 को सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए The Hitvada दिनांक 23.08.2025 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.

नोट:- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वंय बनाना है। जिसे बनाने में न्युनतम 2 दिन का समय लगता हं। अतः बोलीकर्ता से निवेदन हं कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना ले।

दिनांक: 23.08.2025, स्थान: रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार